UPMT010119442025

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, मथुरा

स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र संख्या–410/2025

ललित चतुर्वेदी बनाम विनोद चतुर्वेदी आदि

03.04.2026

पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। विगत तिथि पर प्रार्थी व विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थनापत्र 4क पर सुना जा चुका है।

यह स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र 4क प्रार्थी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षीगण द्वारा लघुवाद सं० 03/2016 संतोषी लाल बनाम सुमित चतुर्वेदी आपस में साज करके उक्त न्यायालय में साजिशन चलाया जा रहा है, जबकि उक्त वाद की प्रश्नगत सम्पत्ति के एकमात्र मालिक व स्वामी व लैण्डलोर्ड निर्विवाद रूप से ठाकुर श्री महादेव जी, हनुमान जी महाराज विराजमान भैंस बहोरा बगीची, कोतवाली रोड, मथुरा, तहसील व जिला मथुरा हैं। जिस संबंध में न्यायालय सिविल जज, सीनियर डिपीजन, चतुर्थ, मथुरा में प्रार्थी के हकपूर्वाधिकारी द्वारा दाद सं० 110/1985 ठा० महादेव जी आदि बनाम उ०प्र० राज्य आदि योजित किया जिसमें उक्त खफीफा वाद का वादी प्रतिवादी सं० 3 था तथा उक्त खफीफा वाद के वादी संतोषीलाल को बजरिये स्थायी निषेधाज्ञा डिकी/आदेश 01.04.1998 के माध्यम से प्रश्नगत सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से स्थाई तौर से निषेधित किया गया जो आदेश आज तक प्रभावी चला आता है। प्रार्थी उक्त वाद की वादगत सम्पत्ति, जोकि ठाकुर जी की सम्पत्ति है, का वर्तमान सह–सेवायत/सह–मौहतमिम मुतवल्ली दस्तावेज दिनांक 30.11.2015 के माध्यम से चला आ रहा है तथा ठाकुर जी की सम्पत्ति की सुरक्षा व प्रबंध व्यवस्था, सेवापूजा भोगराग बतौर सह सेवायत सह मौहतमिम देखता चला आ रहा है। उक्त सम्पत्ति में ठाकुर जी का किरायेदार विपक्षी सं० 4 कायम है जो कि विपक्षीगण सं० 1 लगायत 3 की साज में है। उपरोक्त साजिशी मुकदमें के न्यायालय में चलने की जानकारी होने के बाद प्रार्थी द्वारा अविलम्ब उक्त मुकदमे में पक्ष बनने के लिये एक प्रार्थनापत्र कागज सं० 59ग प्रस्तुत किया गया जो कि विचाराधीन है। उपरोक्त मुकदमे में दिनांक 19.11.2025 नियत थी, जैसे ही प्रार्थी आवेदक उक्त दिनांक 19.11.2025 को घर से तारीख करने न्यायायल आया तो देखा कि विनोद चतुर्वेदी अपने अधिवक्ता के साथ सप्तम अपर जनपद न्यायाधीश महोदय के चैम्बर से होकर बाहर निकला तथा विनोद चतुर्वेदी के अधिवक्ता उससे कह रहे थे कि अब तुम निश्चिंत रहो, अब तो जज सहाब ने भी तुम्हारे पक्ष में मुकदमे का निर्णय करने की हामी भर दी है, कि जिस वक्त प्रार्थी/आवेदक न्यायालय कक्ष में मौजूद था तथा उक्त बात को अपने कानों से सुना। प्रार्थी/आवेदक द्वारा उक्त बात की सूचना तत्काल अपने अधिवक्ता को दी जिस पर प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी से यह कहा गया कि कोई बात नहीं आज उक्त मुकदमे के प्रतिवादी अधिवक्ता की ओर से स्थगन प्रार्थनापत्र ('64घ') हमारे चैम्बर पर दिखला दिया गया है हमने उसे देखकर उस पर इण्डोंसर्मेण्ट अधिवक्ता तृतीयपक्ष की ओर से कर दिया है तथा आज मुकदमें में तारीख लगेगी तुम निश्चिंत होकर तारीख लेकर अपने घर चले जाना जिस पर प्रार्थी न्यायालय कक्ष के बाहर बैठ गया तथा आवाज लगने का इंतजार करता रहा। काफी वक्त गुजरने के बाद भी जब न्यायालय में से कोई पुकार नहीं कराई गयी तो प्रार्थी करीब शाम 4:30 न्यायालय में गया तथा तारीख की बावत जानकारी की तो पेशकार साहब द्वारा अगली तारीख 24.11.2025 अग्रिम आदेश में नियत होना बताया, जब प्रार्थी ने आदेश पंजिका पर हस्ताक्षर कराने को कहा तो पेशकार ने प्रार्थी से कहा कि आर्डरशीट पर साहब ने अपने हस्तलेखन में तुम्हें अनुपस्थित दर्ज करने का आदेश किया गया है, ऐसी स्थिति में तुम्हारे हस्ताक्षर नहीं करवा सकता तथा प्रार्थी के हस्ताक्षर करने में उपरोक्तानुसार असमर्थता व मजबूरी जता दी। दिनांक 24.11.2025 को प्रार्थी अपने अधिवक्ता को साथ लेकर न्यायालय पहुँचा तब प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा आर्डर शीट देखी तो ज्ञात हुआ कि उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.04.03 16:51:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत मुल्तवी प्रार्थनापत्र पर वादी अधिवक्ता व प्रार्थी के अधिवक्ता के हस्ताक्षर/इण्डोसमेण्ट होने के बावजूद भी प्रार्थी को अकारण गलत तौर से बिना कोई पुकार कराये गैरहाजिर दिखा दिया गया तथा वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 24.11.2025 नियत की गयी है, जबकि मुल्तवी प्रार्थनापत्र पर अधिवक्ता को दिखाने के इण्डोंसर्मेण्ट के बाद पक्ष को कानूनन अनुपस्थित नहीं माना जा सकता है। उक्त घटनाकम से प्रार्थी को युक्तियुक्त रूप से प्रार्थी की इस आशंका को बल मिलता है कि न्यायालय सप्तम अपर जनपद न्यायालधीश उक्त विपक्षीगण व विनोद चतर्वेदी की साज में हैं तथा प्रार्थी को उक्त न्यायालय पर स्वतन्त्र रूप से न्याय किये जाने का भरोसा नहीं है। तदनुसार लघुवाद संख्या 03/2016 संतोषीलाल बनाम सुमित चतुर्वेदी को न्यायालय सप्तम अपर जनपद न्यायाधीश, मथुरा से किसी अन्य सक्षम न्यायालय में अंतरित किये जाने की प्रार्थना की गयी। समर्थन में शपथपपत्र 5ग तथा उक्त वाद में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 64घ एवं आदेशपत्रक की प्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत की गयी हैं।

विपक्षी संख्या 4 द्वारा आपत्ति 17ग प्रस्तुत की गयी, जिसमें कथन किया गया कि आवेदक/तृतीय पक्ष द्वारा उक्त स्थानांतरण प्रार्थनापत्र भ्रामक व निराधार कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है। विपक्षी संख्या 4/प्रतिवादी द्वारा दिनांक 19.11.2025 को उक्त खफीफा वाद में एक मुल्तवी प्रार्थनापत्र 64घ प्रस्तुत किया गया था, जो न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। मुल्तवी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही वादी व तृतीय पक्ष के अधिवक्तागण को अवगत करा दिया गया था तथा उनके अधिवक्तागण के द्वारा उक्त मुल्तवी प्रार्थनापत्र पर अपने–अपने इण्डोर्समेंट भी किये गये थे। प्रार्थनापत्र में आवेदक द्वरा वर्णित शेष प्रसंग व घटनाक्रम के वक्त विपक्षी संख्या 4 कोर्ट रूम में उपस्थित नहीं था, लिहाजा विपक्षी संख्या 4 का कोई भी संबंध व सरोकार उक्त प्रकरण से नहीं है, न ही न्यायालय सप्ताह अपर जनपद न्यायाधीश द्वारा विवादित आदेश दिनांक 19.11.2025 विपक्षी संख्या–4/प्रतिवादी के द्वारा 54ग के आवेदक यानी तृतीय पक्ष को अनुपस्थित बताये जाने के कारण पारित किये जाने से ही है। विपक्षी संख्या 4/प्रतिवादी उक्त खफीफा वाद को नेकनीयती से लड़ता चला आ रहा है तथा किसी भी न्यायालय में सुनवाई कराकर अपना पक्ष रखने को सदैव तैयार व तत्पर रहा है। यदि न्यायालय स्थानांतरण प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर उक्त पत्रावली को किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करती है, तो उसमें विपक्षी संख्या 4 को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

विपक्षी संख्या 1, 2 व 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी स्थानांतरण प्रार्थनापत्र पर कोई आपत्ति न होने का पृष्ठांकन आदेशपत्रक पर किया गया है।

संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपनी आख्या में उनके विरूद्ध स्थानांतरण प्रार्थनापत्र में किये गये कथनों को सर्वथा असत्य एवं निराधार बताया गया है तथा यह भी कथन किया है कि उक्त लघुवाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शीघ्र निस्तारण के आदेश पारित किये गये हैं। उक्त लघुवाद में दिनांक 19.11.2025 को प्रतिवादी की ओर से स्थगन प्रार्थनापत्र 64घ प्राप्त हुआ एवं उक्त तिथि को प्रार्थनापत्र 59ग के आवेदक/शिकायतकर्ता अनुपस्थित थे। अतः लघुवाद में अग्रिम आदेश हेतु दिनांक 24.11.2025 नियत की गयी।

आवेदक पक्ष से प्रस्तुत उक्त वाद के आदेशपत्रक दिनांकित 19.11.2025 के अनुसार प्रतिवादी की ओर से स्थगन प्रार्थनापत्र 64घ दिया जाना एवं प्रार्थनापत्र 59ग के आवेदक का गैर हाजिर होना एवं अग्रिम आदेश हेतु दिनांक 24.11.2025 नियत होना अंकित है। आवेदक पक्ष से प्रार्थनापत्र 64घ की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत की गयी है, जिस पर तृतीय पक्ष की ओर से नो ऑब्जेक्शन अंकित किया जाना दर्शित है।

चूंकि आवेदक पक्ष द्वारा उक्त संबंधित न्यायालय पर न्याय किये जाने का भरोसा नहीं होने का कथन करते हुए उक्त लघुवाद को किसी अन्य न्यायालय में अंतरित किये जाने की प्रार्थना की गयी है तथा

विपक्षी पक्ष द्वारा स्थानांतरण प्रार्थनापत्र पर कोई आपत्ति न होने का कथन विपक्षी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति 17 ग में एवं विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से आदेशपत्रक पर अंकित किया गया है।

संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा उन पर लगाये गये आरोपों को असत्य एवं निराधार होना कहा गया है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टगित रखते हुए उक्त लघुवाद को उक्त न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय में अंतरित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार लघुवाद सं० 03/2016 संतोषी लाल बनाम सुमित चतुर्वेदी को न्यायालय अपर जिला जज, न्यायालय संख्या 07, मथुरा से वापस लेकर विधि अनुसार निस्तारण हेतु न्यायालय अपर जिला जज, न्यायालय संख्या 03, मथुरा में अन्तरित किया जाता है।

स्थानांतरण प्रार्थनापत्र 4 क तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

संबंधित न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह उभय पक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए एवं उक्त लघुवाद में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त लघुवाद की प्राचीनता एवं कथित माननीय उच्च न्यायालय के शीघ्र निस्तारण के आदेश को दृष्टिगत रखते हुए यथाशीघ्र उक्त लघुवाद का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(विकास कुमार–I)
जनपद न्यायाधीश,
मथुरा
I.D. No. UP 1910